राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

कमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/72517 दिनांकः 12/11/21

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्य पीठ द्वारा ड़ी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13782/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 एवं ड़ी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल) संख्या 15150/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में निम्न तथ्य स्पष्ट किये जाते है :–

अ– दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार याचिका संख्या 1159/05 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्ती नियमन नीति, 2005 दिनांक **30.9.05** को जारी की; जिसके अनुसार कच्ची बस्ती के नियमन करने की अनुमति मा0उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.7.06 द्वारा प्रदान की।

ब– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष अनुमति याचिका संख्या 16668/08 उनवान नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी में पारित निर्णय दिनांक 30.8.11 में कच्ची बस्तियों के लिए एक नीति बनाकर नियमन करने का निर्णय करने की छूट प्रदान की हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में बनायी गई नीति अनुसार ही कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाकर पट्टे दिये जाने है।

स– मा. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में कच्ची बस्तियों के कब्जो का नियमन करना अनुमत किया गया हैं। इसक्रम में राज्य सरकार द्वारा सर्वेशुदा/चिन्हित कच्ची बस्तियों के कब्जेधारियों का नियमन किया जाकर अब तक लगभग 65000 परिवारों को पट्टे जारी किये गये हैं तथा अब शेष पट्टे देने हैं। नियमन हेतु कब्जे की कट ऑफ डेट दिनांक 15.8.09 हैं। उक्त नियमन से गरीब परिवारों को रहने का आसरा मिलता हैं, जो एक जन कल्याणकारी कार्य हैं।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में नगरीय निकायों को निम्न मार्गदशन जारी किया जाता हैः–

01. ऐसी चिन्हित कच्ची बस्तियां जो कि सुविधा क्षेत्र (यथा पार्क, खेल मैदान, रास्ता, खुली भूमि, सार्वजनिक भूमि आदि) हेतु आरक्षित भूमि, वन भूमि, नदी, नाले, तालाब एवं अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है, में पट्टे नही दिये जावें।

02. अधिसूचित/सर्वेशुद्धा कच्ची बस्तियों में दिनांक 15.08.2009 तक निवास करने वाले परिवारों को पूर्व में पट्टे जारी किये गये है। वर्तमान अभियान में उक्त शेष कच्ची बस्तियों/शेष परिवारों को उपरोक्त कट ऑफ डेट दिनांक 15.08.2009 तक निवास करने वाले शेष परिवारों को ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावें।

Scanned with CamScanner

03. कच्ची बस्ती नीति–2005 के मापदण्डों के अनुसार ही पट्टे जारी किये जावें।

04. कच्ची बस्ती में पट्टे जारी करने के लिये कब्जाधारियों के कब्जे की कट ऑफ ड़ेट दिनांक 15.08.2009 निर्धारित है एवं न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 15 फीट है।

05. पट्टे दिये जाने हेतु निम्नांकित दरें प्रभावशील है:–

क्षेत्रफल (वर्गगज में) नियमन दरें (प्रतिवर्ग में)			
(वर्गगज में)	नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद क्षेत्र	नगरपालिका क्षेत्र
1 से 50	20 रू.	15 रू.	10 रू.
51 से 110	40 रू.	30 रू.	20 रू.

नोट–

- बी.पी.एल. के अतिरिक्त परिवार/व्यक्तियों के लिए यह दरें दुगुनी होगी।
- उक्त नियमन दर की राशि एक मुश्त वसूल की जावेगी।
- कच्ची बस्ती में जारी किए जाने वाले पट्टे 99 वर्षीय लीज के आधार पर जारी किये जावेगें।
- इन पट्टो पर नियमन की राशि व 1 प्रतिशत लीज राशि एक मुश्त वसूल की जाकर पट्टे जारी किए जावेगें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/72518-73006 दिनांकः 12/11/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान–राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner